

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या -106/2018

अपीलान्त

नेमाराम पुत्र रूपाराम जाति माली
निवासी मेडतासिटी तहसील मेडता
जिला नागौर राज0

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. छोटुलाल पुत्र स्व. रूपाराम
2. बिदामी पुत्री स्व. रूपाराम
3. रूकमा पुत्री स्व. रूपाराम
4. कमला पुत्री स्व. रूपाराम
5. गंगा पुत्री स्व. रूपाराम
6. शारदा पुत्री स्व. रूपाराम
7. तीजां पत्नी स्व. रूपाराम
8. प्रेमलता पत्नी स्व. मोतीलाल
9. घनश्याम उर्फ गणेश पुत्र स्व. मोतीलाल
10. सुनिल पुत्र स्व. मोतीलाल
11. जितेन्द्र पुत्र स्व. मोतीलाल
12. पुजा पुत्री स्व. मोतीलाल
13. संतोष पुत्री स्व. मोतीलाल
14. गुडडी पुत्री स्व. मोतीलाल
15. मांगीलाल पुत्र आसुलाल
16. मोतीलाल पुत्र जगनाथ
17. पुखराज पुत्र जगनाथ
18. जंवंरीलाल पुत्र जगनाथ
19. रमेशचन्द पुत्र जगनाथ
20. सुरेश पुत्र रामसिंह
21. चिमनसिंह पुत्र रामसिंह
22. सविता पुत्र रामसिंह
- सभी जाति माली निवासीगण मेडतासिटी
तहसील मेडता जिला नागौर
23. शांतिलाल पुत्र उदयराज चौपडा
24. कुशलराज पुत्र पारसमल
25. रमणीक पुत्र पारसमल
26. प्रवीण पुत्र शांतिलाल
- समस्त जाति महाजन निवासीगण
मेडतासिटी तहसील मेडता जिला नागौर
27. महेन्द्रसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत
निवासी कात्यासनी तहसील मेडता जिला
नागौर
28. तहसीलदार मेडता जिला नागौर



उपस्थिति :-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री धर्मराम खुडखुडिया।
2. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 14 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत, रेस्पोंडेन्ट संख्या 15 से 22 की ओर से वकील श्री गोपालराम गोदारा, रेस्पोंडेन्ट संख्या 23 से 26 की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी, रेस्पोंडेन्ट संख्या 28 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 27 उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक : 05/03/2020

अपीलांत ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्त द्वारा ग्राम मेडता तहसील मेडता का म्यूटेशन संख्या 4875 व 4876 जो तहसीलदार मेडता द्वारा दिनांक 07.07.2015 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 04.09.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 27 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्त ने दिनांक 05.12.2019 को प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी मय संशोधित अपील के पेश किया। वकील अपीलान्त ने निवेदन किया कि उनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4875 व 4876 जो तहसीलदार मेडता द्वारा स्वीकृत किये गये थे, उनको सेवहन से एक ही अपील से चुनोती दी गई थी, जबकि विधि अनुसार प्रत्येक नामान्तरकरण की पृथक से अपील होनी चाहिए। नामान्तरकरण संख्या 4876 की पृथक से दिनांक 01.10.2019 को पृथक से अपील न्यायालय हाजा में पेश कर दी है, जिससे वर्तमान अपील संख्या 106/2018 म्यूटेशन नं० 4875 दिनांक 7.7.2015 की हद तक ही शुमार करने एवं संशोधित अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्त के उक्त आवेदन को आदेशिका दिनांक 05.12.2019 अनुसार स्वीकार किया जाकर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया है।

वकील अपीलान्त ने मियाद प्रार्थना-पत्र के साथ अपना शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांत को उक्त नामान्तरकरण जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी, हाल ही में रेस्पोंडेन्ट्स मनमर्जी से जबरन कब्जा करने का प्रयास करने व कथित तर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण सन 2015 में हो रखा होना बताया तब अपीलांत ने तुरन्त पता करवाया व नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 21.08.2018 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुईं जिनको देखने व पढ़ाने पर पुरी जानकारी हुई तत्पश्चात् अपील करने की कानूनी राय मिलने पर अपील की तैयारी की व इस दौरान दिनांक 25 व 26.08.2018 को अवकाश आ जाने तत्पश्चात् अन्य वांछित रिकॉर्ड इकट्ठा करके नागौर आये व दिनांक 30.08.2018



[Handwritten signature]
वकील, न्यायालय

को अपील तैयार करवाई व आज दिनांक 31.08.2018 को अपील पेश की। इसलिए न्याय हित में तारीख जानकारी दिनांक 21.08.2018 से अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट के मयाद प्रार्थना पत्र पर न्यायहित में विचारोपरान्त अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 14 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. रूपारामजी के वंशज है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 15 से 22 रिश्ते मे होने से इनका भी कुछ खसरान की खातेदारी में शामिल नाम है इसके अलावा रेस्पोंडेन्ट संख्या 23 से 27 भी कुछ खसरान में शामिल खातेदार है। मौजा मेडता की सरहद में खसरा नम्बर 1898 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.01 हैक्टेयर बेरा, खसरा नम्बर 1903 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1904 रकबा 0.01 हैक्टेयर गो.मु., खसरा नम्बर 2197 रकबा 0.03 हैक्टेयर गो.मु., खसरा नम्बर 2199 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2202 रकबा 0.01 हैक्टेयर गो.मु., खसरा नम्बर 2203 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4249 रकबा 2.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4250 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4251 रकबा 2.68 हैक्टेयर, कुल रकबा 9.39 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 4307 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4308 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4309 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4310 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4311 रकबा 2.20 हैक्टेयर कुल रकबा 4.98 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3818 रकबा 0.01 हैक्टेयर गो.मु., खसरा नम्बर 3819 रकबा 0.01 हैक्टेयर गो.मु., खसरा नम्बर 3820 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3821 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3822 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3823 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4245 रकबा 3.41 हैक्टेयर कुल रकबा 6.25 हेक्टेयर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

उपरोक्त जमीन के खाता संख्या 1275 में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्टान संख्या 1 से 23 की संयुक्त खातेदारी व खाता संख्या 908 में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 14 व 23 से 27 की संयुक्त खातेदारी है। उक्त खसरान का रेकॉर्ड अनुसार आज तक कोई बंटवाडा नहीं हुआ है लेकिन मौके पर अलग-अलग काश्त करते है जिनमें अलग-अलग कब्जा चला आ रहा है लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 ने हक तर्कनामा रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 से 14 के पक्ष में निष्पादित किया है जो गलत किया है। क्योंकि कानूनन किसी सहखातेदार को किसी दूसरे सहखातेदार के हक में अपना हिस्सा तर्क करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कानून की मंशा यह है कि कोई भी सहखातेदार यदि अपना हिस्सा तर्क करता है तो बाकी सभी सहखातेदार होते है उन सबके हक में होगा। जबकि इसमें रूपाराम की पत्नि, रूपाराम का पुत्र छोटुराम रूपाराम की पांचों पुत्रियों ने मिलकर रूपाराम के लडके मोतीराम जिसका स्वर्गवास हो चुका है। उनके उतराधिकारियों के पक्ष में तर्कनामा



Handwritten signature and a blue ink stamp of the court official.

निष्पादित किया है, जो कानूनन गलत किया है। उक्त हक तर्कनामा के आधार पर जो हस्तगत नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, कानूनन गलत होने से काबिल निरस्त के है।

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा मोतीलाल के उतराधिकारियों के पक्ष में जो हक तर्कनामा कानून के विरुद्ध किया है जिसके आधार पर मोतीराम के उतराधिकारियों ने अपना हिस्सा एक आदमी के नाम वापिस किया है। जो स्वतः काबिल निरस्त के है। क्योंकि नामान्तरकरण जैर अपील कानून के विरुद्ध है, जिसको कानून में किसी भी रूप में मान्यता नहीं है। उसको आधार मानकर नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त दोनो विवादित नामान्तरकरणों में किन-किन खसरा नम्बरान पर हक तर्ककर्तागण का कब्जा काशत है, यह भी कही स्पष्ट नहीं किया है ना ही नामान्तरकरण में हिस्से का खुलासा किया गया है। वास्तविकता में मौके पर अलग-अलग कब्जा काशत रहता चला आ रहा है। जिसको नजरअंदाज करते हुए जो तर्कनामा किया गया है वो कानून के विरुद्ध व काबिल निरस्त के है। उपरोक्त बताये सभी खसरान में 28 खातेदार है जिनमें किसका कौनसा खसरा नम्बर है? यह भी कही स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 7 ने अपने तर्कनामा में सभी खसरान नहीं लिये है यह केवल 16 खसरान में अपना हिस्सा मोतीराम के उतराधिकारियों के पक्ष में तर्क किया है। जो प्रथम दृष्ट्या गलत व विधि विरुद्ध है। इसलिए उपरोक्त दोनो नामान्तरकरण जैर अपील का कोई औचित्य नहीं है जिससे दोनो नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 4875 दिनांक 07.07.2015 द्वारा तहसीलदार मेड़ता को खारिज किये जाकर रेकॉर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश फरमाने व अन्य न्यायोचित आदेश जो लाभार्थ अपीलान्ट हो प्रदान कराने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 509 से 513 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

वकील रेस्पोजेन्ट श्री नरेन्द्र सारस्वत, श्री गोपालराम गोदारा, श्री ठाकुर प्रसाद राठी व राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि म्यूटेशन जैर अपील उप पंजीयक मेड़ता से पंजीबद्ध हकतर्क के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलान्ट को हकतर्क पर आपत्ति है, तो उन्हें इस संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। पंजीबद्ध हकतर्क की वैधता के संबंध में न्यायालय हाजा को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। वकील रेस्पोजेन्ट श्री नरेन्द्र सारस्वत ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 14.11.2012 पेज 765 से 767 प्रस्तुत किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में उप पंजीयक मेड़ता के पंजीयन दिनांक 07.04.2015 पु.सं. 1 जि.सं. 761 पृ.सं. 28 क्रम संख्या 2015-1877 पर पंजीबद्ध हकतर्क के अनुसार पटवारी

मेड़ता द्वारा ग्राम मेड़ता का नामान्तरकरण संख्या 4875 भरा गया, जिसकी जॉच उपरान्त तहसीलदार मेड़ता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4875 दिनांक 07.07.2015 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार पंजीबद्ध हकतर्कनामा के आधार नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है। नामान्तरकरण प्रक्रिया अन्तर्गत जिस पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत/अस्वीकृत करने बाबत कार्यवाही की जाती है, उसमें उस न्यायालय/अधिकारी को विधि अनुसार पंजीबद्ध दस्तावेज की वैधता को प्रश्नगत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नामान्तरकरण एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, इससे किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोधभूत नहीं होते हैं। अपीलान्त के अनुसार यदि हकतर्कनामा गलत आधारों अथवा विधि विरुद्ध तरीके से निष्पादित किया गया है, तो ऐसे पंजीबद्ध दस्तावेज के वैधता के संबंध में अपीलान्त सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले के तथ्यों के सन्दर्भ में हूबहू चस्पा नहीं होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में उचित होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।



(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

